

19.02.2022

पत्रावली पेशा। कापी ऐव वकील वादी
उपस्थित। रुक-रुक कर तीन बार
आवाज लगावई गई, आपनूद इतके
कोई उपस्थित नहीं। इसके
प्रति होगा है कि वादी ऐव
वकील वादी अपने दावे को लेकर
गम्भीर नहीं है अतः दावा अदम
हानिटी, अदम पैसी-ये इछी तर
पर खारिज किमा जाता है पत्रावली
प्रेसल शुभार चेकर तथा नम्बर
चे रुप की जाकर दाखिल दाखल है।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) सांचौर (जालोर)

